तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिचिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मे वर्णित तथ्यों व जवाब अनुसार वादग्रस्त आराजीयात के हक-हिस्सा मूल वाद में तय होंगे तब तक शमन लगने की संभावना है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे इस हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा का स्थगन आदेश जारी किया जावे इस पर पत्रावली का राजस्व रेकार्ड का गहनता से अवलोकन कर परीक्षण किया गया तत्पश्चात पाया गया कि प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 2 मे वर्णित वादग्रस्त आराजियात बाबत विपक्षी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायसंगत है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया, सुविधा का सन्तुलन अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रमाणित पाई जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि मौजा जैतपुरा के खाता संख्या 46 में वर्णित आराजी नम्बर 621 किता-1 रकबा 0.5509 है, खाता संख्या 247 मे वर्णित आराजी नम्बर 833, 834, 837 किता-3 कुल रकबा 1.2424 है. खाता सं. 246 में वर्णित आराजी नम्बर 697/17 रकबा 1.6744 है, खाता संख्या 127 मे वर्णित आराजी नम्बर 840 रकबा 1.6561 है, खाता सं. 125 मे वर्णित आ.न. 622 रकबा 0.0324 है भूमि, खाता सं. 40 मे वर्णित आराजी नम्बर 839/1, 839/4 किता 2 कुल रकबा 0.2262 है भूमि, खाता संख्या 130 मे वर्णित आराजी नम्बर 244 रकबा 1.2639 है भूमि स्थित है जो वादग्रस्त है जिसमें प्रार्थीगण का जन्म से हक अधिकार होकर काबिज काश्त है। विपक्षी संख्या-1 के नाम का फायदा उठाकर वादग्रस्त आराजी से प्रार्थीगण को बेदखल नही करे न किसी से करावे, उपयोग उपभोग मे बाधा पैदा नहीं करे इस हेतु विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा के स्थगन आदेश से पाबन्द किया जाता है कि उपखण्ड अधिकारी डूंगला	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिचिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उपरोक्त खातों मे वर्णित आराजियात की मौका एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। विधिवत खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी डूंगला	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2024.11.05 14:06:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner